न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 01/2024

प्रार्थीगण–

1. नरसींगाराम पुत्र खमीशाराम
2. भुराराम पुत्र खमीशाराम
3. रायचन्दराम पुत्र जेताराम
4. मीरूराम पुत्र जेताराम
5. वीरचन्द पुत्र जेताराम
6. डुंगराराम पुत्र जेताराम
7. लांगाराम पुत्र जेताराम
8. पुरूषोतमदास पुत्र जेताराम जाति मेगवाल निवासी सुन्दरनगर–कोनरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. मालाणा पुत्र राणाराम जाति भील
2. करनाराम पुत्र राणाराम
3. साहमीर पुत्र राणाराम
4. गंगा पुत्र राणाराम
5. हलीमा बेवा पुंजा
6. खेताराम पुत्र पुंजाराम जाति भील निवासी अमरावास–कोनरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार चौहटन

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध पंजीबद्ध बेचान दिनांक 24.04.1956 एवं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 19.08.1958 जो सरंपच ग्राम पंचायत कोनरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द रामावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री शाकर खान समेजा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 01 से 04 की ओर से उपस्थित।
3. श्री हितेश कुमार गोयल, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं. 08 प्रर्फोमा पक्षकार।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 17.02.2026

1. प्रार्थीगण की ओर से उक्त [illegible] 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत [illegible] बेचान दिनांक 24.04.[illegible] एवं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण [illegible] 11 दिनांक 19.08.[illegible] को विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर, बाड़मेर

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा कोनरा तहसील चौहटन के खसरा नंबर 685, 688 क्रमशः रकबा 20–2 बीघा, 39–15 बीघा बारानी सोयम भूमि वक्त बंदोबस्त प्रार्थीगण के पूर्वज खमीशा पुत्र हिमथा जाति मेगवाल के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था। प्रार्थीगण के पूर्वज खमीशा को गुमराह करके उनका खेत राणा, पूंजा पिसरान विशना जाति भील के नाम दिनांक 24.04.1956 को बेचान करवा दिया। उक्त बेचान अनुसुचित जनजाति के व्यक्ति को किया है जो बेचान प्रारम्भ से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार शून्य एवं निष्प्रभावी है एवं उक्त बेचान से जो म्यूटेशन संख्या 11 भरा गया वह भी प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण द्वारा पंजीबद्ध बेचान दिनांक 24.04.1956 एवं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 19.08.1958 को विधिविरूद्ध मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षण किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा कोनरा तहसील चौहटन के खसरा नंबर 685, 688 क्रमशः रकबा 20–2 बीघा, 39–15 बीघा बारानी सोयम भूमि वक्त बंदोबस्त प्रार्थीगण के पूर्वज खमीशा पुत्र हिमथा जाति मेगवाल के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था। प्रार्थीगण के पूर्वज खमीशा को गुमराह करके उनका खेत राणा, पूंजा पिसरान विशना जाति भील के नाम दिनांक 24.04.1956 को बेचान करवा दिया। जिसमें प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है व विप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है जो एक दूसरे को जरिये बेचान भूमि का हस्तान्तरण नही कर सकते है फिर भी प्रार्थीगण के पूर्वज खमीशा से विप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा बेचान दिनांक 24.04.1956 को करवाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को बेचान, दान, वसीयत इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज राणा, पूंजा पिसरान विशना जाति भील के पक्ष में जारी पंजीबद्ध बेचान दिनांक 24.04.1956 एवं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 19.08.1958 प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

करने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेंस करना आवश्यक, उचित एवं न्यायसंगत है।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि विवादित भूमि मौजा कोनरा तहसील चौहटन के खसरा नंबर 685, 688 क्रमशः रकबा 20–2 बीघा, 39–15 बीघा वक्त सेंटलमेंट राजस्व अभिलेखों में उक्त खेत स्वर्गीय खमीशा पुत्र हिमथा जाति मेघवाल की खातेदारी के न होकर स्वर्गीय राणा, पूंजा पिसरान विशना जाति भील का स्वामित्व एवं कब्जा–काश्त किया जाता था। इसके साथ ही पैमाईश विभाग के अधिकारीयां के साथ रहकर भमि का नाप कर दिया गया था परन्तु पैमाईश विभाग की गलती से खमीशा के नाम दर्ज जिस पैमाईश की गलती का विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का ज्ञान होने हुआ तब विप्रार्थीगण द्वारा खमीशा से 1956 में सम्पर्क किया तो खमीशा ने यह स्वीकार किया कि खसरा नंबर 685, 688 राणा, पूंजा की खातेदारी के थे जो भूल से मेरे नाम के खातेदारी में दर्ज हो गये है। इसके साथ ही वक्त बेचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति को बेचान करने की पाबदी नहीं थी और न ही बेचान दिनांक 24.04.1956 या नामान्तरकरण पर कोई पाबंदी थी। वक्त बेचान धारा 42 की मयाद तीन साल थी बेचान पर पाबंदी 1964 मे प्रावधान डाला गया है जिसका भूतलक्ष्यी प्रभाव नहीं दिया गया है जो राजस्थान उच्च न्यायालय डबल बैच जोधपुर का न्याय निर्णय अनवान मधुदेवी बनाम राजस्व मण्डल अजमेर वगैरा डी0बी0 सिविल स्पेशियल अपील (रीट) नंबर 182/2000 निर्णय दिनांक 28.04.2008 में दिया गया है। इस प्रकार रेफरेंस आवेदन करीब 70 वर्ष वाद पेश किया गया है जो स्पष्टतया मयाद बाहर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

6. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों व अभिकथनों पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न अभिलेखों का उद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निर्णय नजीर 2009 (1) RRT 177 प्रस्तुत कर रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संबंध मे धारा 42 के प्रावधान की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 42–गैर अनु. जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में भूमि का अन्तरण–भूमि 1958 में अन्तरित की तथा धारा 42 के [illegible] 1964 में डाले गये–भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया तथा अन[illegible] [illegible]म्पति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके [illegible] [illegible]थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर स्टेट बनाम गंगाराम 1978 RRD-1 (LB) में [illegible] पीठ द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायत जो तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग कर रही है धारा 42 के विपरीत किसी अंतरण को प्रभावित करने वाले नामान्तरकरण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बाड़मेर

मंजूरी देने का अधिकारी नहीं है और यदि हस्तानंतरण धारा 42 के परन्तुक की शर्तो के उल्लंघन मे पाया जाता है तो कलक्टर मंजूरी देने की अनुमति नहीं देगा। "इस प्रकार उक्त प्रकरण में बेचान दिनांक 24.04.1956 को हुआ है जो वर्ष 1964 से पहले किया गया है तथा इसका अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 19.08.1958 को हुआ है। इसके साथ ही 1964 से पूर्व के अंतरण जो धारा 42 के प्रावधानो के उल्लंघनों में है तो वह किसी एक पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है तथा इसी विकल्प के साथ प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अन्तरण दिनांक 24.04.1956 एवं उसकी पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 19.08.1958 को शून्य करते हुए पारित निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार उक्त निर्णय के तथ्य हस्तगत प्रकरण द्वारा निर्धारित अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेंस आवेदन पत्र अंतिम निश्चय हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाना उचित है क्योंकि उक्त वाद में स्वामित्व के संबंध में कोई ठोस आधार एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे विनम्र अभिमत अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि की अवैध तरीके से बिना किसी स्वामित्व साक्ष्यों के अप्रार्थीगण के हक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध नामान्तरकरण पारित किया गया जिसे इस रेफरेंस आवेदन पत्र के द्वारा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेंस प्रार्थना–पत्र इस अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत कोनरा द्वारा अवैध रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में इन्द्राज किये जाने के आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 19.08.1958 को निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 16.03.2026 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

8. आदेश आज दिनांक 17.02.2026 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर